राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

प्री मास्टर ऑफ एज्यूकेशन परीक्षा
पी.एम.ई.टी. – 2014

सामान्य दिशा–निर्देशिका

डॉ. देव स्वरूप
कुलपति

डा. दलबीर सिंह
समन्वयक, पी.एम.ई.टी

प्री.एम.एड. प्रवेश परीक्षा कार्यालय
शिक्षा विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141–2711070/2710184 एक्स. 2812/2811/2813
वेबसाईट–www.pmet2014.com तथा www.pmet2014.org

एम.एड. प्रवेश हेतु आवेदक कृपया ध्यान दें

1. ऑन–लाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाईट पर इससे संबंधित दिशा–निर्देशों का अध्ययन करें और अध्ययन करने के पश्चात ही सावधानीपूर्वक भरें। ध्यान रहे ऑन–लाईन आवेदन पत्र भरने में सामान्य सी चूक आपको इस प्रवेश के लिए अपात्र ठहरा सकती है।
2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना और निर्धारित कॉलम में उस आशय का इन्द्राज नहीं करना व जानबूझकर गलत प्रमाण पत्र लगाना, इस प्रवेश में लाभ प्राप्त करने की नीयत से दुर्भावनापूर्वक किया गया कृत्य माना जायेगा।
3. परीक्षा के प्रश्न पत्र में 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक में वैकल्पिक उत्तर होंगे।
4. प्रवेश परीक्षा से संबध नियम राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय समय पर जारी निर्मित आदेश, निर्देश आदि लागू होंगे।
5. पीएमईटी आवेदन–पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों तथा संलग्नक प्रपत्रों को इस प्रकार संलग्न करें। पहले आवेदन फार्म तथा परीक्षा शुल्क रू. 400/– ई–मित्र का मूल चालान, अंकतालिकाओं की छाया प्रतिलिपियाँ व अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता व अन्य का प्रमाण पत्र लगायें। आवेदक को चाहिए कि वह सूचना निर्देशिका में दर्शाई गई अग्रेषण अधिकारियों की सूची (List of forwarding officers) में से किसी एक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र उपरोक्त संलग्नक प्रपत्रों सहित जमा करायें।
6. **<u>संग्रहण केन्द्र/पीएमईटी कार्यालय में छात्र द्वारा डाक से भेजा गया परीक्षा फार्म स्वीकार नही किया जावेगा तथा ऐसे परीक्षा फार्म स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। संग्रहण केन्द्रों को निर्देशित किया जाता है कि डाक से प्राप्त आवेदन पत्र को तुरन्त (Re-Direct) वापस आवेदनकर्ता को भेजे।</u>**

महत्वपूर्ण चेतावनी

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार प्री एम.एड. प्रवेश परीक्षा 2014 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर रू. 2000/– तक का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनो सजाएं हो सकती है।

शिक्षा (ग्रुप –4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्रांक प.10(3) शिक्षा–1/4/2012 दिनांक 21.02.2014 के द्वारा राजस्थान के विभिन्न शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एम.एड. पाठ्यक्रम के सत्र् 2014–15 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर एकीकृत प्रवेश परीक्षा हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को अधिकृत किया गया है।

सामान्य निर्देश

प्री मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रवेश परीक्षा 2014 सत्र् 2014–15 के एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम इस साईट पर उपलब्ध सूचनाओं एवं सामान्य दिशा निर्देश एवं इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें तथा इसके पश्चात यदि वे आवेदन हेतु योग्यता रखते है तो अपने नजदीक के किसी ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर निर्धारित परीक्षा शुल्क रु.400/– एवं सेवा प्रदाता शुल्क रु. 10/– कुल रु. 410/– का भुगतान कर टोकन प्राप्त करें। परीक्षा शुल्क जमा कराते समय अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, वर्ग एवं जन्म तिथि इत्यादि सही–सही सेवा प्रदाता ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) को देगा।

राजस्थान के सभी एम.एड. प्रशिक्षण संस्थानों में एम.एड. प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रवेश कार्य किया जा रहा है।

एम.एड. पाठ्यक्रम के प्रवेश नियमः–

1. राजस्थान के सभी एम.एड. महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ऑन–लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।
2. एम.एड. प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग (पुरूष व महिला दोनों) के लियें बी.एड/शिक्षा शास्त्री परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, विशेष पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं विधवा, तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ही आवेदन करने योग्य हैं।
3. ऐसे अभ्यर्थी ही प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करें, जिनका बी.एड़/शिक्षा शास्त्री का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो या जिनका 05 जून 2014 तक परीक्षा परिणाम घोषित हो जायेगा क्योंकि इस वर्ष काउन्सलिंग 05 जून 2014 से प्रारम्भ होगी।
4. प्री एम.एड. प्रवेश परीक्षा के अंको को आधार मानकर सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनाई जायेगी। अभ्यार्थी का नाम योग्यता सूची में विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध कुल स्थानों के अन्तर्गत भी आना चाहिए।
5. राजस्थान सरकार द्वारा एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए नियमों का निर्धारण इस प्रकार किया गया हैः–
   - I. कुल सीटों में से समग्र योग्यता (ओवर ऑल मेरट) के आधार पर 5 प्रतिशत सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आंवटित की जा सकेंगी चाहे अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों न हो बशर्ते राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी की मैरिट सामान्य श्रेणी में राजस्थान के अंतिम प्रविष्ठ अभ्यर्थी के प्रवेश की मैरिट से कम नही हो। शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं।
   - II. अन्य आरक्षण इस प्रकार रहेगाः–
     - i. राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत
     - ii. राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 प्रतिशत (इसमें से 45 प्रतिशत जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियो के लिए)
     - iii. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत
     - iv. राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 01 प्रतिशत
     - v. राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत में से 08 प्रतिशत विधवा एवं 02 प्रतिशत तलाकशुदा महिलाओं के लियें आरक्षित रहेगा।

vi. राजस्थान के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए (दृष्टिहीन, बहरे/गूंगे एवं अस्थि विकलांग सहित) कम से कम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र फार्म नं. 4 पर नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा, के लिए 03 प्रतिशत

vii. राजस्थान के सेवारत/सेवामुक्त/सेवानिवृत रक्षा कर्मियों (Defence) एवं उनके आश्रितों के लिए 05 प्रतिशत (सीमा सुरक्षा बल (B.S.F.), सेन्ट्रल पुलिस बल एवं टेरिटोरियल बल के कर्मियों का इस श्रेणी में कोई आरक्षण नही है।)

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर सीट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा भरी जावेगी।

6. राजस्थान की अनुसूचित/अनु. जनजाति/महिला अभ्यर्थियों /अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उनका बोनाफाइड निवास स्थान माना जा सकता है। बशर्ते पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाये और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, प्रवेश में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाये।
8. विधवा एवं तलाकशुदा श्रेणी का लाभ लेने वाली अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी कि उसने पुनः शादी नही की है, देना होगा।
9. रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित हैं/थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी हैं, उन्हें भी एम.एड. प्रवेश परीक्षा में राजस्थान का माना जा सकता है। बशर्ते उन्होंने आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता का प्रमाण पत्र और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा मूल निवास का प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।
10. किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही प्रवेश की पात्रता खो देगा ओर यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।
11. पात्र अभ्यर्थीयों की कुल संख्या में से पहले सामान्य सीटों हेतु चयन किया जायेगा। तत्पश्चात आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकेगा और योग्यता सूची से भरा जा सकेगा।
12. महाविद्यालय का आवंटन काउन्सलिंग द्वारा किया जायेगा। वरीयता सूची का परिणाम इन्टरनेट पर उपलब्ध होगा। काउन्सलिंग की समय सारणी वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे वेबसाईट पर ध्यान रखें। किन्ही अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर या ऑनलाईन काउन्सलिंग होने पर निश्चित समय पर विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश हेतु अपनी प्राथमिकता दर्ज नहीं करने या काउन्सलिंग के समय जो महाविद्यालय उनकों आवंटित किया जाता है, उसें अस्वीकार करने पर एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मैरिट का स्थान खो देगे और पुनः उनके मामले पर विचार नही किया जायेगा। एक बार महाविद्यालय का आवंटन हो जाने के बाद पुनः किसी भी दशा में महाविद्यालय के परिवर्तन/स्थानान्तरण व्यक्तिगत अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा। काउन्सलिंग द्वारा महाविद्यालय आवंटन के पश्चात जमा प्रवेश शुल्क किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।
13. किसी भी अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी एम.एड. पाठ्यक्रम वाले संस्थान में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का हकदार नहीं हो जाता।
14. पुरूष व महिला अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट के अनुसार सहशिक्षा वाले संस्थानों में प्रवेश दिया जा सकेगा। महिला अभ्यर्थियों को ही उनकी मैरिट के अनुसार महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जायेगा।
15. काउन्सलिंग की तिथि 05.06.2014 तक निर्धारित पात्रता परीक्षा की मूल अकंतालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(अ) अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु आवश्यक सामान्य निर्देशः—

1. अभ्यर्थी को एम.एड. प्रवेश में अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिये, क्योंकि एम.एड. प्रवेश स्तर तक आवेदन पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। एम.एड. में प्रवेश की जिम्मेदारी स्वतः अभ्यर्थी की अपनी है। यदि बाद में यह पता लगे कि वह एम.एड. प्रवेश परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता भी नहीं रखता और वह पी.एम.ई.टी. में बैठ जाता है तो भी उसे प्रवेश का कोई अधिकार नही मिल जाता।
2. अभ्यर्थी को ऑनलाईन पर उपलब्ध नियमावली व सामान्य निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और उनकी पालना करनी चाहिये।
3. परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्नको (प्रमाण पत्र/अंक सूची आदि) का मात्र उल्लेख करना और उन्हें नत्थी/संलग्न नही करना या आवेदन पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किये बगैर पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या आवेदन पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/ तथ्य अंकित करना दुराचरण माना जायेगा और ऐसा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
4. पी.एम.ई.टी का शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नही होगा। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं, केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिये।
5. अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पी.एम.ई.टी. नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जायेगी।
6. दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मैरिट का आधार उनकी शिक्षा स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक होगे, और यदि शिक्षा स्नातक परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्म तिथि (Oldest) को आधार माना जायेगा।

(ब) पी.एम.ई.टी. के प्रवेश हेतु मार्ग—दर्शनः—

1. प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार, किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है तथापि यहां कुछ रूपरेखा दी जा रही है।
2. पी.एम.ई.टी में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें चार अनुभाग होंगेः—
   i. शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक आधार (Social and Philosophical Foundation of Eduation)
   ii. अधिगम का मनोविज्ञान (Psychology of Learning)
   iii. शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक तकनीकी (Educational Management and Educational Technology)
   iv. शिक्षण कुशलता (Teaching Efficiency)
3. प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 200 होगी। प्रत्येक अनुभाग में 50 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे (मॉडल प्रश्न में नमूना देखे)
4. प्रश्न पत्र अग्रेंजी व हिन्दी दोनों भाषाओं में होगा, किन्तु भाषाओं में प्रश्न पत्र या उत्तर विकल्पों में अन्तर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को अन्तिम माना जायेगा।
5. प्रश्न पत्र की अवधि तीन घण्टे की होगी।
6. प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, पूरा प्रश्न पत्र 600 अंको का होगा।
7. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेंगे। इस वर्ष परीक्षा में **नेगेटिव मार्किंग नही होगी**।
8. सभी अनुभागों के प्रश्न पत्र ''टेस्ट बुकलैट'' के रूप में होंगे, जिसमें प्रत्येक अनुभाग, क्रमशः1,2,3,......... 50 तक क्रमांक में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्पी उत्तर (A) (B) (C) (D) आदि रूप में होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तर पत्रक (OMR Sheet) में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में नीले बालपेन से पूरे गोले को गहरा नीला करना है। निशान गहरा नीला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा नीला करना है जैसा नमूने में दर्शाया गया है। दी हुई उपयुक्त जगह को ही नीला कीजिये। उत्तर पत्रक पर इधर—उधर कहीं भी निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को नीला कर देने से उत्तर गलत मान लिया जायेगा। उत्तर पत्रक पर अन्य कार्य नहीं करना है। मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक के आधार पर ही किया जायेगा।
9. टेस्ट बुकलेट विभिन्न समुच्चयों (Combination) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न—पुस्तिका का क्रमांक उत्तर—पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंको के समानान्तर गोले को सावधानी से गहरा नीला करें।

(स) आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देशः–

1. पी.एम.ई.टी.–2014 हेतु आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम इस साईट पर उपलब्ध सूचनाओं एवं सामान्य दिशा निर्देश एवं इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें तथा इसके पश्चात यदि वे आवेदन हेतु योग्यता रखते है तो अपने नजदीक के किसी ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर निर्धारित परीक्षा शुल्क रु.400/– एवं सेवा प्रदाता शुल्क रु. 10/– कुल रु. 410/– का भुगतान कर टोकन प्राप्त करें। परीक्षा शुल्क जमा कराते समय अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, वर्ग एवं जन्म तिथि इत्यादि सही–सही सेवा प्रदाता ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) को देगा। आन लाईन आवेदन पत्र हेतु अपनी फोटो (साईज........) व हस्ताक्षर (साईज ....) स्केन कराना होगा।
2. **<u>ऑन–लाईन आवेदन–पत्रों की प्रिन्ट प्रति जमा करवाने हेतु</u>**: अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन की प्रिन्ट प्रति मय दस्तावेज एवं ई–मित्र में जमा शुल्क की रसीद की प्रति किसी अधिकृत संग्रहण केन्द्र पर निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करवाने की अवस्था में इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थता नही मानी जायेगी।
3. आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा यदिः–
   1. अर्हक परीक्षा की सभी अंक सूचियों की फोटो प्रतियां, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने पद की मुद्रा सहित प्रमाणीकृत न हो।
   2. मूलनिवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न न हो
   3. आरक्षण श्रेणी के प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारियों के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न न हो
   4. अन्य अभ्यर्थी सम्बन्धी प्रमाण पत्र न हो।
4. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। राजस्थान के शिक्षा महाविद्यालयों में एम.एड. सत्र 2014–15 में प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय की है। अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यो के विरूद्व न्यायालयों में दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) प्रवेश की घोषणाः–

(i) प्रवेश की सूचना बेबसाईट पर दी जायेगी।

(य) 1. अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से अपना प्रवेश–पत्र (एडमीशन कार्ड) 19 से 25 मई, 2014 तक उसे www.pmet2014.com या www.pmet2014.org के वेबसाईट से निकालवाना होगा। परीक्षा प्रवेश पत्र में परीक्षा केन्द्र व रोल नम्बर की सूचना का उल्लेख रहता है। अभ्यर्थी को मोबाईल पर एस.एम.एस द्वारा भी सूचना भेजने का प्रयास करेंगे।

2. परीक्षा के उत्तर पत्रक किसी भी परिस्थिति में न तो किसी न्यायालय (सिविल अथवा क्रिमिनल) के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगे और न ही अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे ।

परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण साथ में लाना पूर्णतया वर्जित हैं।

परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में नीली स्याही का बालपेन साथ में लाना न भूलें।

आदर्श प्रश्न पत्र (Model Question Paper)

भाग अ

शिक्षा का सामाजिक एवं दार्शनिक आधार

1. विद्यालय एवं कक्षाऐं अनावश्यक है, यह विचार है–

(A)आदर्शवादी दर्शन (B)मार्क्सवादी दर्शन (C)प्रकृतिवादी दर्शन (D) प्रयोजनवादी दर्शन

भाग ब

अधिगम का मनोविज्ञान

1. अधिगम से अर्थ व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता हैः–

(A)अभिप्रेरणा के कारण (B)परिपक्वता के कारण (C)विशिष्ट उद्दीपन के फलस्वरूप (D) उपरोक्त मे से कोई भी नही

भाग स

शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक तकनीकी

1. 21वीं सदी में अध्यापक से प्रबंधन की अपेक्षा की जा रही है।

(A)एक पाठ्यचर्या नियोजक के रूप में (B)परीक्षा प्रबंधक के रूप में (C)पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के प्रबंधक के रूप में (D) द्वन्द्व प्रबंधक के रूप में

भाग द

शिक्षण कुशलता

1. किसी शिक्षक द्वारा पाठ्य विषय में छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए किये गये मूल्यांकन को कहते हैः–

(A)निर्माणात्मक (B)रूपदेय (C)निदानात्मक (D) समाकल्नात्मक

PMET-2014

परीक्षा केन्द्र संम्भाग संकेतांक (कोड) संख्या एवं नाम

संकेतांक	परीक्षा केन्द्र सम्भाग
201	अजमेर
202	भरतपुर
203	बीकानेर
204	जयपुर
205	जोधपुर
206	कोटा
207	उदयपुर

ऑन–लाईन आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति जमा कराने हेतु अग्रेषण महाविद्यालयों की सूची व महाविद्यालय का कोड संख्या

कोड सं.	जिला	महाविद्यालय का नाम
101	अजमेर	प्राचार्य, टाक शिक्षा निकेतन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुलिस लाईन, लोहागल रोड़, अजमेर
102	भरतपुर	प्राचार्य, महात्मा गॉधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सेवर, भरतपुर
103	बीकानेर	प्राचार्य, डॉ राधाकृष्णन राजस्थान उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर
104	चूरू	प्राचार्य, बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गॉधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, चूरू
105	जयपुर	विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
106	झुन्झुनू	प्राचार्य, रामादेवी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हरनाथपुरा, नुआ, झुन्झुनू
107	जोधपुर	प्राचार्य, शाह जी, एल.काबरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर
108	कोटा	प्राचार्य, श्री जवाहर लाल नेहरू शिक्षण महाविद्यालय, सकतपुरा, कोटा
109	नागौर	प्राचार्य, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनू, नागौर
110	सवाईमाधोपुर	प्राचार्य, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, चूली गेट, मिर्जापुर रोड़, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर
111	सीकर	प्राचार्य, टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रींगस, सीकर
112	श्रीगंगानगर	प्राचार्य, श्री गंगानगर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नजदीक रीको बस स्टेण्ड, हनुमानगढ रोड , श्रीगंगानगर
113	उदयपुर	प्राचार्य, विद्या भवन जी.एस. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर
114	हनुमानगढ़	प्राचार्य, ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय, सांगरिया, हनुमानगढ़
115	करौली	प्राचार्य, सौरव कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, हिण्डौन करौली रोड, खेड़ा(हिण्डौन सिटी), करौली

पी. एम. ई. टी.– 2014

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि

1. मैने पीएम.ई.टी. 2014 से संबंधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नही कहूँगा/ कहूँगी।
3. मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नही किया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ पी.एम.ई.टी 2014 कार्यालय में प्रतिवेदन भेजूंगा/भेजूंगी और 60 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा/करूंगी। किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक कार्य क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय का ही होना मुझे स्वीकार है।
   (ब)यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर समन्वयक कार्यालय के विरूद्व न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो समन्वयक को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होउँगा/होउँगी।
   (स) न्यायालय में दायर सभी विवादों के लिए न्यायिक अधिकार जयपुर शहर स्थित न्यायालय का ही होगा।
5. आवेदन पत्र मे कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से पात्रता नहीं रखने पर आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
6. मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र, परीक्षा परिणाम, अंकतालिका, महाविद्यालय आंवटन पत्र इत्यादि अधिकृत वेबसाईट www.pmet2014.org तथा www.pmet2014.com से डाउनलोड करूँगा/करूँगी।
7. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन प्रवेश देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
8. मैं इस तथ्य से भलीभांती अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं प्रवेश के समय संस्थान के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
9. महाविद्यालय आवंटन के बाद किसी प्रकार के स्थानान्तरण की मांग नही करूँगा/करूँगीं
10. मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ/सेवारत हूँ तथा प्रवेश होने की स्थिति में मै विभाग से अनुमति/अवकाश लेकर पाठ्यक्रम में नियमित रहूँगा/रहूँगी।
11. एम.एड पाठ्यक्रम मे प्रवेश नही होन पर कांउसलिंग समाप्ति के पश्चात मेरे द्वारा जमा रजिस्ट्रेशन/प्रवेश शुल्क राशि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रदत्त विवरण वाले मेरे बैंक खाते में पुनः लौटाई जाती है तो मुझे कोई आपत्ती नही है। बैंक खेते में किसी गलत सूचना के लिए मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
12. मैं स्वयं ही अधिकृत वेबसाईट से सूचना डाउनलोड़ करूंगा/करूगी एवं इसकी प्रतिलिपी स्वयं के पास रखूंगी/रखूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान.....................
नाम..

दिनांक.................
पता...

फोन नं. मय कोड................................मोबाईल नं..

संलग्नकों की सूचीः–

कसं.	**दस्तावेज/प्रमाण–पत्र का नाम**	**संलग्न सं.**	**संग्रहण केन्द्र के सत्यापन हेतु**
1	ई मित्र फीस जमा कराने की रसीद		
2	आवेदक द्वारा घोषणा		
3	सैकण्डरी/ समकक्ष की अंकतालिका		
4	हायर सैकण्डरी की अंकतालिका		
5	स्नातक/समकक्ष की अंकतालिकाऐं		
6	बी.एड./शिक्षा शास्त्री की अंकतालिका		
7	जाति प्रमाण पत्र		
8	शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र (40 प्रतिशत या अधिक)		
9	विधवा की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुनः विवाह नही करने का शपथ पत्र		
10	तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं पुनः विवाह नही करने का शपथ पत्र		
11	सैनिक/भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित होने पर समक्ष अधिकारी/जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र		
12	मूल निवास प्रमाण पत्र		
13	अन्य		
	कुल संलग्नकों की संख्या		

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक से आवेदन पत्र प्राप्त करने की रसीद

संग्रहण केंन्द्र के उपयोग हेतु

ई–मित्र टोकन संख्या...................................... दिनांक .... आवेदन पत्र नं................................

संग्रहण केन्द्र का कोड ...... **संग्रहण केन्द्र कर्मी के हस्ताक्षर मय सील**